न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद सख्या–43 / 2015

श्री रामा वल्द राजू जी आयु 80 साल जाति मेहरात निवासी गांव करवाई तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।

बनाम

1. श्री सुल्तान बालिग वल्द श्री मल्ला
2. श्रीमति रोशनी बालिग पत्नि श्री सुल्तान
3. श्री रमजान बालिग वल्द श्री मल्ला
4. श्रीमति हलीमी बालिग पत्नि श्री रमजान
5. श्री सुरेश बालिग वल्द श्री सुल्तान
6. श्री भंवर बालिग वल्द श्री सुल्तान
7. श्रीमति सुशीला बालिग पत्नि श्री सुरेश
8. श्रीमति प्रेम बालिग पत्नि श्री भंवर
   समस्त जाति मेहरात निवासी गांव करवाई तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये भू0 धारक तहसीलदार मसूदा।

वाद वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादी ने इस वाद में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम करवाई पटवार हल्का बस्सी भू0 अ0 नि0 क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित विवादास्पद आराजी ख0 न0 242/1 रक्बा 2–5–00 बीघा भूमि वादी की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादीगण स0 1 से 8 की नियत बद हो गई है और वह वादी की विवादित आराजी में जबरन कब्जा करने पर आमादा है उन्हे मना करने पर नही मान रहे है और जबरन कब्जा करने की धमकियां दे रहे है इसलिए वाद लाने की आवश्यकता है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादी स0 1 से 8 व उनके परिवार जन को वादी की अधिपत्य शुदा विवादित आराजी अथवा उसके किसी हिस्से पर जबरन कब्जा करने एवं वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने का कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे प्रतिवादीगण स्वयं अथवा उनके परिवारजन आदि सहित विवादित आरजी अथवा उसके हिस्से में जबरन कब्जा न करें और ना ही वादी के विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे में दखलंदाजी करे। यदि प्रतिवादीगण दोराने वाद कार्यवाही अपने मकसद में सफल हो जावे तो प्रतिवादीगण स0 9 के मार्फत प्रतिवादीगण स0 1 से 8 वापस वादी को दिलावाकर कब्जा बरकरार रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के संदर्भ में कोर्ट केम्प हरराजपुरा पेश हुई। वादी स्वयं तथा प्रतिवादी स0 1 सुल्तान हाजिर आये। प्रतिवादी सुल्तान ने विवादित आराजी का वादी की होना स्वीकार किया तथा जवाब वाद पत्र देने से मना किया। जवाब हक बंद किये जाते है। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन

किया गया। ग्राम करवाई की जमाबंदी सवत् 2066–69 के खाता स0 52 का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ख0 न0 242/1 तन्हा रूप से रामा की खातेदारी में अंकित है। नक्शा ट्रेस संवत् 2027–28 के अनुसार विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी स0 1 की संयुक्त खाते की आराजी ख0 न0 243 व 244 वादी की आराजी 252 से लगायत है। एसी स्थित में वादी की शंका सही प्रतीत होती है।

अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी स0 1 से 8 को ग्राम करवाई स्थित वादी की विवादित आराजी ख0 न0 242/1 रक्बा 2–05–00 बीघा में जबरन कब्जा करने या करवाने के अधिकारी नही है।

प्रतिवादी स0 1 से 8 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर उन्हे वादी की विवादित आराजी में दखलंदाजी करने एंव विवादित आराजी के किसी भी हिस्से या भाग पर जबरन कब्जा करने या किसी से करवाने आदि से निषेध किया जाता है।

दौराने वाद विचारण के प्रतिवादीगण स0 1 से 8 वादी की विवादित आराजी में यदि जबरन कब्जा कर लेवे तो वादी प्रतिवादी स0 9 के मार्फत अपना कब्जा बहाल करवाने का अधिकारी है।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मुख्यालय हरराजपुरा पर जलसाए आम में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.16 17:23:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: